सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 51/2008 प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

गंगाराम पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा
..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

दिनांक 09.10.2024

निर्णय

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16. 5.2000 को ग्राम नांगल राजावतान तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान के आ0ख0नं0 726 रकबा 0.12है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी गंगाराम पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी नांगल राजावतान को कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति मु0 नांगल राजावतान द्वारा अप्रार्थी गंगाराम पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी नांगल राजावतान को दिनांक 16.5.2000 को ग्राम नांगल राजावतान तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान को आ0ख0नं0 726 रकबा 0.12है. भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 148 दिनांक 01.12.2000 को गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया है। ना ही आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना की है। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में आगे यह भी कथन किया कि आवंटी द्वारा भूमि आवंटन होने के पश्चात कोई काश्त नहीं की है। भूमि काबिल काश्त भी नहीं है तथा भविष्य में भी भूमि काबिल काश्त होने की कोई संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त आवंटित भूमि के आस पास आबादी क्षेत्र है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया प्रश्नगत भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।
4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि आवंटी द्वारा भूमि आवंटन होने के पश्चात भूमि को काफी पैसा खर्च कर काबिल काश्त बनाकर आवंटित भूमि को काबिल काश्त बनाया है। आवंटी का आवंटित भूमि पर निरन्तर कब्जा है। अ है। अतः तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नि[illegible] निरस्त फरमाया जावे।
5. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता [illegible] गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

6- धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 इस प्रकार है:–

The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been

Devendra
जिला कलक्टर,दौसा

made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:
Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

7. राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 में आवंटन की शर्तो का उल्लेख किया गया जिसमें आवंटी को भूमि के क्षेत्र में काश्त करने, अच्छी तरह से उपयोग करने हेतु पाबंद किया गया है, आवंटन नियम 14(2) के अनुसार देय स्वीकृत लगान की दर से वार्षिक लगान की शर्त एवं भूमि को 3 वर्ष में काबिल काश्त बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप नांगल राजावतान द्वारा अप्रार्थी गंगाराम पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी नांगल राजावतान को दिनांक 16.5.2000 को ग्राम नांगल राजावतान तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान के आ0ख0नं0 726 रकबा 0.12है. भूमि आवंटित की गई थी। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2057 से 2060 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि भूमि पडत पडी हुई है अर्थात भूमि में कोई काश्त नहीं हो रही है। जिससे यह सिद्ध होता है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। साथ ही वर्तमान में उक्त खसरा नंबर 726 रकबा 0.12है0 राजस्थान सरकार के नाम खाता सं. 1 में अंकित है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 5.2.2002 में भी पटवारी द्वारा उक्त भूमि पर आवंटी का काश्त नहीं होना अंकित किया गया है। उप तहसीलदार की रिपोर्ट 12.2.2002 में भी आवंटी द्वारा भूमि पर कब्जा न होना एवं भूमि उपयोग न करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.5.2000 को अप्रार्थी गंगाराम पुत्र रामपाल मीना को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 16.5.2000 के द्वारा ग्राम नांगल राजावतान में अप्रार्थी गंगाराम पुत्र रामपाल मीना के पक्ष में किया गया आराजी खसरा नंबर 726 रकबा 0.12है. वाके ग्राम नांगल राजावतान का आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा